न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 82/2025

वादी :-

1. गिरधारीलाल पुत्र स्व. मंगाराम जाति खारड़िया (सीरवी) निवासी बेरा बिल्दा, बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।
2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाडा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 1 - सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 07/1/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 1, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1674 रकबा 1.6585 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1676 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1677 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1680 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1681 रकबा 1.1569 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.3363 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या नये 311 व पुराने 286 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी का 1/12 वां हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 1. तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1679 रकबा 1.2944 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या नये 316 व पुराने 286 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी का 1/48 वां हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 1, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1673 रकबा 7.2891 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या नये 312 व पुराने 287 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी का 1/48 वां हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि सी से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी में वादी का दर्ज हिस्सा की भूमि पूर्व में वादी के पिता मंगारामजी पुत्र रायचन्द के नाम दर्ज थी तथा मंगारामजी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2128 द्वारा वादी के नाम दर्ज की गयी। वादी का नाम गीदाराम घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम है, जबकि वादी का सही नाम गिरधारीलाल है। वादी के पिता मंगारामजी का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादी की माता गंगादेवी द्वारा वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम गीदाराम हल्का पटवारी को दर्ज करवा दिया गया तब से उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2128 के आधार पर वादी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि श्ए श्बीश व श्सीश के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में गीदाराम दर्ज चला आ रहा

कलक्टर
ड अधिकारी
लाड़ा

है जबकि वादी का सही नाम गिरधारीलाल है। जिसके सम्बंध में वादी का आधारकार्ड, पैनकार्ड व राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक की पासबुक वाद पत्र के साथ पेश है, जिसमें वादी का नाम गिरधारीलाल दर्ज है। वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी में वादी के पिता के फौतेदर्गी म्यूटेशन के जरिये वादी को घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम गीदाराम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गीदाराम के स्थान पर बादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम गिरधारीलाल दुरुस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 सक्षम नहीं है, अपितु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी के राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम गीदाराम के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेजात के अनुसार सही नाम गिरधारीलाल दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बिना दुरुस्ती के वादी अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नही कर पा रहा है। क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का दर्ज नाम गीदाराम वादी के निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज नाम गिरधारीलाल से मिलान नहीं करता है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम गीदाराम के स्थान पर उसके उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सही नाम गिरधारीलाल दुरुस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि सी में दर्ज वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के यहा रहन होने से प्रतिवादी संख्या 2 को प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी की चालु जमाबन्दी में दर्ज अन्य सहखातेदार के विरुद्ध प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है तथा चाहे गये अनुतोष से उनके दर्ज हक व अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी के दर्ज अन्य सहखातेदार प्रस्तुत वाद में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नही होने से उन्हे प्रस्तुत याद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता मंगाराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2128 यादी की माता गंगादेवी द्वारा दर्ज करवाते समय वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम गीदाराम दर्ज करवाने से, तब से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के पिता मंगाराम के फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर वादी का नाम गीदाराम दर्ज चला आने से, वादी का सही नाम उसके निजी व सरकारी दस्तावेज के अनुसार गिरधारीलाल होने से, राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम गीदाराम व निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज वादी का सही नाम गिरधारीलाल मिलान नही करने से, वादी वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी के सम्बंध में किसी प्रकार की सरकारी सुविधा प्राप्त नही कर पाने से, वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उसके घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम गीदाराम दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम गीदाराम के स्थान पर उसके निजी व सरकारी दस्तावेज में दर्ज सही नाम गिरधारीलाल दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के निवेदन को

...क कलक्टर
...खण्ड अधि...
बिलाड़ा

दुरुस्ती हेतु सक्षम नही होने के आधार पर अस्वीकार करने पर बमुकाम् ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है। दावा बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती के लिए होने से तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि ए बी व सी राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1, तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का व श्रवण करने का क्षेत्राधिकार है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ए खसरा संख्या 1674 रकबा 1.6585 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1676 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1677 रकबा 0. 0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1680 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1681 रकबा 1.1569 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4. 3363 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम गीदाराम पुत्र श्री मंगाराम हिस्सा 1/12 जाति खारड़िया (सीरवी) (काग) सा. देह खातेदार के स्थान पर सही/शुद्ध नाम गिरधारीलाल पुत्र श्री मंगाराम हिस्सा 1/12 जाति खारड़िया (सीरवी) (काग) सा. देह खातेदार दुरुस्त किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार दुरुस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि बी खसरा संख्या 1679 रकबा 1. 2944 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम गीदाराम पुत्र श्री मंगाराम हिस्सा 1/48 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. देह खातेदार के स्थान पर सही/शुद्ध नाम गिरधारीलाल पुत्र श्री मंगाराम हिस्सा 1/48 जाति खारड़िया (सीरवी) सा. देह खातेदार दुरुस्त किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेश/डिक्री के अनुसार दुरुस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि सी खसरा संख्या 1673 रकबा 7. 2891 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम गीदाराम पुत्र श्री मंगाराम हिस्सा 1/48 जाति खारड़िया (सीरवी) काग सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/48 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा के स्थान पर सही/शुद्ध नाम गिरधारीलाल पुत्र श्री मंगाराम हिस्सा 1/48 जाति खारड़िया (सीरवी) काग सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/48 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा दुरुस्त किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदेशधडिक्री के अनुसार दुरुस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर स्वयं या प्रतिनिधि के तौर पर कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम व पटवार मण्डल बिलाडा चक 1 की वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी संवत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 311 खसरा नंबर 1674, 1676, 1677 कुल रकबा 4.3363 हैक्टयर में क्रमांक सं. 4 पर गीदाराम पुत्र मंगाराम हिस्सा 1/12 जाति खारडिया सीरवी दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

संवत् 2076 से स्थायी के खाता सं. 316 खसरा नंबर 1679 रकबा 1.2944 हैक्टयर में क्रमांक 4 पर गिदाराम पुत्र मंगाराम हिस्सा 1/48 जाति खारडिया सीरवी दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2076 के खाता सं. 312 खसरा सं. 1673 रकबा 7.2891 के क्रमांक 5 पर गोदाराम पुत्र मंगाराम हिस्सा 1/48 जाति सीरवी सा.देह खातेदार रहन हिस्सा 1/48 पुर्ण खाता स्टेट बैक आफ इण्डिया बिलाडा दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण सं. 2128 बिन्दु सं. 1, 2, व 3 में वर्णित भूमि में मंगाराम पुत्र रायचन्द्र के फौत हो जाने से मंगाराम पुत्र रायचन्द के स्थान पर उनके वारिसान भीकाराम, तुलछाराम पुत्र मंगाराम पुत्र गंगादेवी पत्नी मंगाराम दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा गीदाराम व गिरधारीलाल स्वयं के ही दो नाम होना बनाया जिसकी जांच हेतु हल्का पटवारी मौके पर पहुंचा व मौका फर्द बनाई गई जिसमें उपस्थित मौतबिरानों ने गीदाराम पुत्र मंगाराम व गिरधारीलाल को एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया व प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम गिरधारीलाल दर्ज है।

अतः निवेदन है कि वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी का नाम गीदाराम व गोदाराम पुत्र मंगाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासबुक में गिरधारीलाल पुत्र मंगाराम दर्ज है। प्रार्थी का गीदाराम पुत्र मंगाराम नाम राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामा.सं. 2128 के जरिये दर्ज हो गया। जिसमें प्रार्थी का शपथपत्र व मौका फर्द में वर्णित मौतबिरानों के बयानानुसार यह पाया गया कि गीदाराम व गिरधारीलाल पुत्र मंगाराम एक ही व्यक्ति है। अतः गीदाराम पुत्र मंगाराम के स्थान पर गिरधारीलाल पुत्र मंगाराम नाम की शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गिरधारीलाल पुत्र स्व. मंगाराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खसरा सं. 1674, 1677, 1680, 1681 ग्राम बिलाडा चक 1 की जमाबंदी संवत् 2075-2078, प्रदर्श 2 खसरा सं. 1679 ग्राम बिलाडा चक 1 की ई प्रति, प्रदर्श 3 आधारकार्ड, प्रदर्श 4 राज. मरूधरा ग्रामीण बैक बिलाडा की पासबुक, प्रदर्श 5 पैनकार्डआदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधारकार्ड, प्रदर्श 2 पैनकार्ड, प्रदर्श 3 राज. मरूधरा ग्रामीण बैक बिलाडा की पासबुक, आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम गिरधारीलाल पुत्र मंगाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गीदाराम पुत्र मंगाराम व गोदाराम पुत्र मंगाराम दर्ज के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम गिरधारीलाल पुत्र मंगाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने गीदाराम पुत्र मगाराम व गोदाराम पुत्र मंगाराम के स्थान पर गिरधारीलाल पुत्र मंगाराम किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1674 रकबा 1.6585 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1676 रकबा

0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1677 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1680 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1681 रकबा 1.1569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1679 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1673 रकबा 7.2891 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में गीदाराम पुत्र मगाराम व गोदाराम पुत्र मंगाराम के स्थान पर गिरधारीलाल पुत्र मंगाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**
गिरधारीलाल सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- **82/2025**

निर्णय **दिनांक :-** 07/11/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक नं. 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1674 रकबा 1.6585 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1676 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1677 रकबा 0.0485 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1680 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1681 रकबा 1.1569 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1679 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1673 रकबा 7.2891 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में गीदाराम पुत्र मगाराम व गोदाराम पुत्र मंगाराम के स्थान पर गिरधारीलाल पुत्र मंगाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा